365

5 रु. 5 रु. 5 रु. Rs.5 FIVE RUPEES INDIA भारत पाँच रुपये

समक्ष माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर कैंप भोपाल म.प्र.

/18 निग. I/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2018/01976

श्रीमति आरती किरार पत्नि मनोज किरार आयु 27 साल निवासी विजय नगर वार्ड क्र. 32 विदिशा ------------------आवेदिका

बनाम

दीपिका लोधी पुत्री कुमानसिंह लोधी आयु 26 साल निवासी एफ.सी.आई. गोदाम के पीछे विदिशा --------- अनावेदिका

12

अभिभाषक श्री .... द्वारा आज दिनांक 01.3.2018 को पेश।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 9/1/18 न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय विदिशा के प्र.क्र. 73/16-17 अपील व मामले-दीपिका लोधी बनाम आरती किरार

माननीय महोदय,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय विदिशा के न्यायालय में अनावेदक (अपीलांट) दीपिका ने माननीय बाल विकास परियोजना अधिकारी (शहरी विदिशा) के आदेश क्रमांक 38/नियु. /आई.सी.डी.एस./2017 विदिशा दिनांक 2/2/17 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील समय सीमा के अंदर न होने से अपील के समर्थन में पृथक से एक आवेदन अंतर्गत धारा 5 अवधि विधान का इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपीलांट को अपिलाधीन आदेश दिनांक 2/2/17 की नकल दिनांक 11/4/17 को सूचना के अधिकार के तहत व मुश्किल प्राप्त हो सकी है तथा नकल प्राप्त होने के पश्चात् अपीलांट मलेरिया बुखार से बीमार हो गई तथा दिनांक 12/5/17 को स्वस्थ हुई तब अपीलांट ने दिनांक 13/5/17 को अपने अभिभाषक से अपील तैयार कराकर तथा दिनांक 14/5/17

XXIX(a)-BR(H)-11

365

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2018/1976

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-५-१९ को आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	